कार्यालय अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रियाकलाप
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर–02

दिनांकः 06/02/2025

–सूचना–

शासन के पत्र संख्या सी–6527 दिनांक फरवरी 06, 2025 के सन्दर्भ (संलग्न) में अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2024–25 में जिन छात्र–छात्राओं द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है, साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा अग्रसारित हो चुका है। ऐसे छांत्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है यदि किसी छात्र–छात्राओं के अपने आवेदन पत्रों में सुधार किया जाना है तो वह आवेदन पत्र में सुधार करते हुये अपने साक्ष्यों के साथ हार्ड कापी को शैक्षिक अनुभाग के छात्रवृत्ति पटल पर दिनांक 10/02/2025 तक जमा करना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा सुधार करते हुये हार्ड कापी को शैक्षिक अनुभाग में नियत तिथि तक जमा नहीं किये जाते है तो उसके लिये छात्र–छात्रायें स्वयं जिम्मेदार होगें। यदि छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मदारी नही होगी।

भवदीय,

(डा0 राशि अग्रवाल)
नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति
एवं
सह–अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रियाकलाप
एच0बी0टी0यू0, कानपुर

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, एच0बी0टी0यू0, कानपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि सूचना को समस्त छात्रावासों के सूचनापटों पर प्रदर्शित कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. सिस्टम मैनेजर, एच0बी0टी0यू0, कानपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 राशि अग्रवाल)
नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति
एवं
सह–अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रियाकलाप
एच0बी0टी0यू0, कानपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
कानपुर नगर।

सेवा में

1– संयुक्त निदेशक, आई0टी0आई0, कानपुर नगर।
2– मण्डलीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
3– रजिस्ट्रार/प्राचार्य, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर नगर।
4– रजिस्ट्रार/प्राचार्य, रामा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर नगर।
5– रजिस्ट्रार/प्राचार्य, चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर नगर।
6– रजिस्ट्रार/प्राचार्य, छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर नगर।
7– रजिस्ट्रार/प्राचार्य, यू0पी0टी0टी0आई0, कानपुर नगर।
8– जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर।
9– प्राचार्य/रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य, समस्त पूर्वदशम और दशमोत्तर शैक्षिणिक संस्थाए, कानपुर नगर।

पत्रांक /सामान्य, अनु0जाति/अनु0जनजाति/दशमो0छात्र0यो0/2024–25 दिनांक 06 फरवरी 2025

विषय– वर्ष 2024–25 सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों के नाम से बने आय प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में छात्रो के स्तर से आवेदन में करेक्शन हेतु पोर्टल खुलने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वर्ष 2024–25 सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्रों हेतु शासनादेश संख्या 157/2024/2475/26–3–2024/सी0एन0–1513982, दिनांक 28 नवम्बर 2024 तथा सामान्य वर्ग छात्रों के लिये शासनादेश संख्या 158/2024/3475/26–3–2024/सी0एन0–1741061, दिनांक 28 नवम्बर 2024 द्वारा द्वितीय चरण हेतु संशोधित समय–सारिणी जारी की गयी है, तत्क्रम में निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या सी–4317 दिनांक 31 जनवरी 2025 के द्वारा समय सारिणी मे प्राविधानित छात्रो के स्तर से डाटा करेक्शन अवधि में अपने माता–पिता/अभिभावक जैसा लागू हो के अनुसार आय–प्रमाण पत्र बनवाकर करेक्शन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, उक्त के क्रम में पुनः निदेशालय पत्र संख्या सी–4361 दिनांक 05 फरवरी 2025 के द्वारा ऐसे छात्र जिनके द्वारा स्वयं के नाम से बने आय प्रमाण पत्र का उपयोग किया गया है वे अपने माता–पिता/अभिभावक के नाम से निर्गत आय–प्रमाण पत्र को छात्रो के स्तर से आवेदन में दिनांक 05–02–2025 से 10–02–2025 तक करेक्शन कर सकते है, उक्त हेतु पोर्टल खुल गया है, समय–सारिणी के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	सामान्य वर्ग और अनु0जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति
01	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एर्जेसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना	27 जनवरी से 20 फरवरी 2025 तक
02	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना	10 फरवरी 25
03	स्टेट एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा स्क्रूटनी	27 जनवरी से 04 फरवरी 25 तक
04	त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर से सही करना	**05 फरवरी से 10 फरवरी 25 तक**
05	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना	13 फरवरी 2025 तक

अतः आपसे अपेक्षित है कि छात्रों को उपरोक्तानुसार अपने आवेदन पत्रों में त्रुटियों में करेक्शन कराना सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(बीरपाल)
प्र0 जिला समाज कल्याण अधिकारी,
कानपुर नगर।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक C-6597 /स0क0/छात्रवृत्ति/टाइम–टेबल/2024–25 दिनांक 06-02-2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2– जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3– मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
4– **उपनिदेशक सूचना, कानपुर नगर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सूचना दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।**

प्र0 जिला समाज कल्याण अधिकारी,
कानपुर नगर।

Scanned with OKEN Scanner